संख्या : 3131/79–6–2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा–6 अनुभाग **लखनऊ** **दिनांक** **03 दिसम्बर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्थानीय-स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "माता–अभिभावक संघ" का गठन किया जाना।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित संवेदनशील योजना है। विगत दिवसों में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने से कतिपय विद्यालयों में बच्चों के बीमार होने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजना से आच्छादित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के निमित्त **"माता–अभिभावक संघ"** का गठन किया जाय। जिससे बच्चों को इस योजनान्तर्गत उनकी माताओं की निगरानी में सतत रूप से गुणवत्ता पूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में **"माता–अभिभावक संघ"** का गठन निम्नवत् होगा :–

1. ग्राम प्रधान – संरक्षक
2. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं के बीच से चुनी गयी महिला – अध्यक्ष
3. विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों की माताएं – सदस्य
4. विद्यालय के सभी सहायक अध्यापक – सदस्य
5. शिक्षा मित्र – सदस्य
6. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका – सदस्य/सचिव

जबकि नगर क्षेत्रों में स्थित उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में माता–अभिभावक संघ का गठन निम्नवत् होगा :–

1. वार्ड सभासद – संरक्षक
2. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं के बीच से चुनी गयी महिला – अध्यक्ष
3. विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों की माताएं – सदस्य
4. विद्यालय के सभी सहायक अध्यापक – सदस्य
5. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका – सदस्य/सचिव

माता–अभिभावक संघ की विद्यालय में प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें मध्यान्ह भोजन बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विचार विमर्श के उपरान्त आवश्यक रणनीति तैयार की जाएगी जिसके तहत रोस्टर के आधार पर प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की माताओं में से कम से कम एक माता को विद्यालय परिसर में मध्यान्ह भोजन बनावाने हेतु नामित किया जाएगा। यह संघ यह सुनिश्चित करेगा कि–

1. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को प्रत्येक विद्यालय दिवस विद्यालय आने पर मीनू के अनुसार पूरी मात्रा में शुद्ध गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. मध्यान्ह भोजन पकाने में खाद्यान्न–गेंहूँ, चावल, दाल आदि का प्रयोग करने से पूर्व उनको अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया गया है, ताकि उनको संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गये रसायनों का कोई अंश उनमें बाकी न रह जाए।
3. हरी सब्जियों को पकाने से पूर्व अच्छी तरह धो लिया जाए ताकि इनमें कीटनाशक का कोई दुष्प्रभाव शेष न रह जाए।
4. भोजन पकाने में एगमार्ग मसालों तथा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जा रहा है।
5. खुले तेल एवं घी का प्रयोग वर्जित है। अतः अच्छे ब्रान्ड के सील बन्द तेल एवं घी का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
6. बच्चों को भोजन पकाने के स्थान से दूर रखा जाए तथा किसी भी दशा में भोजन पकाने में बच्चों की सहायता न ली जाय।
7. भोजन पकाते समय स्वच्छता एवं सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
8. बच्चों को भोजन वितरित करने से पूर्व अपनी निगरानी में भोजन तैयार कराने वाली माता द्वारा योजना को स्वयं चखा जाएगा तथा रसोइये एवं विद्यालय के अध्यापक द्वारा भी भोजन का चखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी प्रविष्टि विद्यालय पर इस निमित्त रखे गये रजिस्टर में तत्समय ही अनिवार्य रूप से की जाएगी तथा भोजन चखने का समय अंकित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाय। जिला स्तर पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व जिलाधिकारी/सी.डी.ओ./जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। जबकि ब्लाक स्तर पर इस हेतु बी.डी.ओ./सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत प्रभारी एवं स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान/वार्ड सभासद तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकनः समसंख्यक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, निशातगंज लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(आर.सी.घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव